न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 79 / 2025	2025 /	05.08.2025	20.08.2025

1– अलीखान पुत्र धनेडी जाति मेंव,
2– आसूदा खां पुत्र धनेडी जाति मेंव,
3– कालू खां पुत्र धनेडी जाति मेंव,
4– फजरू पुत्र धनेडी जाति मेंव,
5– रूजदार पुत्र धनेडी जाति मेंव,
6– रमजान पुत्र धनेडी जाति मेंव, निवासीयान टोहरी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास, तहसील किशनगढबास, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 25.06.2025 नामान्तकरण संख्या 897 वाके ग्राम टोहरी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित

01. श्री अब्दूल कलाम — वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 897 वाके ग्राम टोहरी तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 25.06.2025 से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 343 रकबा 0.14 है0 का 150 / 691 भाग, 213 / 639 रकबा 0.36 है0, 282 / 646 रकबा 0.35 है0, 290 रकबा 0.0400 है0, 291 / 704 रकबा 0.38 है0, 292 / 644 रकबा 0.2900 है0, 299 / 655 रकबा 0.26 है0, 302 रकबा 0.34 है0, 337 रकबा 0.37 है0, 340 / 652 रकबा 0.18 है0, 341 रकबा 0.15 है0, 345 रकबा 0.25 है0, 382 / 661 रकबा 0.28 है0, किता 12 रकबा 3.25 है0 में से 3 / 9 भाग, 289 / 633 रकबा 0.26 है0, 329 / 626 रकबा 0.25 है0 किता 2 रकबा 0.51 है0 में से 3 / 18 भाग, 198 रकबा 0.71 है0 में से 15 / 81 भाग, 208 रकबा 0.05 है0, 209 रकबा 0.01 है0, 339 रकबा 0.35 है0 किता 3 रकबा 0.41 है0 में से 3 / 27 भाग क्षेत्रफल 1.3689 है0 वाके ग्राम टोहरी तहसील किशनगढबास में स्थित है। आराजी मिन अपीलान्टान की बहन फजरी पुत्री धनेडी व मौहम्मदी पुत्री धनेडी व माता हुसैनीं पुत्री धनेडी की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी थी, जिस आराजी की रिलीजडीड मिन अपीलान्टान की बहन व माता ने मिन अपीलान्टान के हक में दिनाक 12.02.2025 को पुस्तुक संख्या 1 जिल्द संख्या 619 में पृष्ट संख्या 104 क्रंम संख्या 202503359100328 पर पंजिबद्व कराया गया है, बाद पंजियन मिन अपीलान्टान द्वारा असल रिलीजडीड पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दिया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण

जिला कलक्टर
जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

संख्या 887 दिनाक —— 15.05.2025 को दर्ज किया गया उक्त नामान्तकरण दर्ज करते वक्त बताया गया कि उक्त खसरा न0 में आराजी खातेदारी व गैरखातेदारी की होने से जिम्मन एक से अधिक खाली की एन्ट्री प्रदर्शित होती है, जिससे सम्पूर्ण रजि0 दस्तावेज का नामान्तकरण दर्ज नही हो रहा है, तो मिन अपीलान्टान द्वारा उक्त खसरा न0 343 को छोडकर शेष रिलीजडीड का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु सहमति भी प्रदान कर दी गयी थी, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा वास्ते मंजूरी हेतु तहसीलदार किशनगढबास को भेजा गया जिस तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा नामान्तकरण को यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया कि As Per Patwari Report And With Attached Decoument Application For Not Take Necessary Action Kashra Number 343 Is Not Signed With All Concern Person So Mutation Is Not Acceptable खारिज कर दिया गया। आराजी खसरा न0 343 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नामान्तकरण नही किया गया जिससे मिन अपीलान्टान की कोई गलती नही थी, तथा मिन अपीलान्टान द्वारा सहमति दे दी गयी थी जिस भी प्रकार से नामान्तकरण दर्ज हो नामान्तकरण दर्ज हो जावे। लेकिन उसके बावजूद भी तहसीलदार किशनगढबास द्वारा नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। उक्त प्रकरण में नामान्तकरण के लिए रिलीजडीड एक मात्र दस्तावेज होता है, अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता नही थी, लेकिन तहत अदालत तहसीलदार किश्नगढबास द्वारा गलत रूप से नामान्तकरण खारिज किया गया है। अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.06.205 नामान्तकरण संख्या 897 वाके ग्राम टोहरी तहसील किशनगढबास निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य कथन किया है, कि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात — अपीलान्टान की बहन फजरी पुत्री धनेडी व मौहम्मदी पुत्री धनेडी व माता हुसैनी पुत्री धनेडी की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी थी, जिस आराजी की रिलीजडीड — अपीलान्टान की बहन व माता ने —— अपीलान्टान के हक में दिनाक 12.02.2025 को पुस्तुक संख्या 1 जिल्द संख्या 619 में पृष्ट संख्या 104 क्रंम संख्या 202503359100328 पर पंजिबद्व कराया गया है, बाद पंजियन ——अपीलान्टान द्वारा असल रिलीजडीड पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दिया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 887 दिनाक 15.05.2025 को दर्ज किया गया उक्त नामान्तकरण दर्ज करते वक्त बताया गया कि उक्त खसरा नम्बरान में आराजी खातेदारी व गैरखातेदारी की होने से जिम्मन एक से अधिक खाली की एन्ट्री प्रदर्शित होती है, जिससे सम्पूर्ण रजि0 दस्तावेज का नामान्तकरण दर्ज नही हो रहा है, —— अपीलान्टान द्वारा खसरा न0 343 को छोडकर शेष आराजी की रिलीजडीड का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु सहमति दी गयी थी, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा वास्ते मंजूरी हेतु तहसीलदार किशनगढबास को भेजा गया जिस तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा नामान्तकरण को यह लिखते हुऐ As Per Patwari Report And With Attached Decoument Application For Not Take Necessary Action Kashra Number 343 Is Not Signed With All Concern Person So Mutation Is Not Acceptable खारिज कर दिया गया। आराजी खसरा न0 343 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नामान्तकरण नही किया गया।

तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 887 वाके ग्राम टोहरी तहसील किशनगढबास में वर्णित आराजी खसरा न0 न0 343 रकबा 0.14 है0 का 150/691 भाग, 213/639 रकबा 0.36 है0, 282/646 रकबा 0.35 है0, 290 रकबा 0.0400 है0, 291/704 रकबा 0.38 है0, 292/644 रकबा 0.2900 है0, 299/655 रकबा 0.26 है0, 302 रकबा 0.34 है0, 337 रकबा 0.37 है0, 340/652 रकबा 0.18 है0, 341 रकबा 0.15 है0, 345 रकबा 0.25 है0, 382/661 रकबा 0.28 है0, किता 12 रकबा 3.25 है0 में से 3/9 भाग, 289/633 रकबा 0.26 है0, 329/626 रकबा 0.25 है0 किता 2 रकबा 0.51 है0 में से 3/18 भाग, 198 रकबा 0.71 है0 में से 15/81 भाग, 208 रकबा 0.05 है0, 209 रकवा 0.01 है0, 339 रकबा 0.35 है0 किता 3 रकबा 0.41 है0 में से 3/27 भाग क्षेत्रफल

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

1.3689 है0 खातेदारन अली खान, आसुदा, कालू, फजरू, फजरी, मौहम्मदी, रूजदार, रमजाना, हुसैनी के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जिसमें से खातेदार फजरी, मौहम्मदी, हुसैनी ने अपना हिस्से का हकत्याग कर दिया गया। वर्णित आराजी में से आराजी खसरा न0 343 रकबा 0.14 है0 का सहखातेदार गैरखातेदार होने के कारण नामान्तकरण दर्ज नही हो पा रहा है, उक्त खसरा न0 को छोडकर शेष आराजी का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर पटवारी हल्का से जॉच करायी गयी पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है, कि प्रार्थी अनुसार/सहमति के आधार पर आराजी खसरा न0 343 को छोडकर नामान्तकरण दर्ज होना सम्भव है। तथा पटवारी हल्का के द्वारा तदानुसार ही नामान्तकरण दर्ज किया गया है, किन्तु तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण यह लिखते हुऐ कि As Per Patwari Report And With Attached Decoument Application For Not Take Necessary Action Kashra Number 343 Is Not Signed With All Concern Person So Mutation Is Not Acceptable खारिज किया गया है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है, तहसीलदारा किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.06.2025 नामान्तकरण संख्या 897 वाके ग्राम टोहरी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो। निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)